श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से०,जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 09.10.2013को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पताल, लौरिया का किए गए औचक निरीक्षण की टिप्पणी:–

दिनांक 09.10.2013 को 01.10 बजे अप0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पताल, लौरिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य सामने आया :–

1. **उपस्थिति:–**

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लौरिया के निरीक्षण के क्रम में डा0 एस0के0 शर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डा0 राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी एवं डा0 सुनीता कुमारी, दंत चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए। डा0 सुनीता कुमारी, दंत चिकित्सक की उपस्थिति पंजी में दर्ज पायी गयी। पृच्छा किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के प्रशिक्षण पर जाने की बात उपस्थित चिकित्सक के द्वारा बताया गया। अनुपस्थित चिकित्सकों का वेतन/मानदेय भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग की जाती है।

   (अनुपालन :–संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

2. श्री रविशंकर सिंह, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, ब्रजेश कुमार तिवारी, डाटा ऑपरेटर, जयंत कुमार, एल. टी. एवं अरशद हसन, टेली मेडिसीन, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लौरिया अनुपस्थित पाए गए। पृच्छा किए जाने पर किसी भी कर्मी/चिकित्सक के द्वारा इनकी अनुपस्थिति के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। अनुपस्थिति/अवकाश से संबंधित कोई आवेदन भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः उपरोक्त कर्मियों के मानदेय/वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए विहित माध्यम से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग की जाती है।

   (अनुपालन :–संबंधित कर्मी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

3. श्री चन्द्रदेव प्रसाद, पुरूष कक्ष सेवक, श्रीमती मंजू देवी, महिला कक्ष सेविका एवं श्रीमती शांति देवी, स्वीपर सभी रेफरल अस्पताल, लौरिया अनुपस्थित पाए गए। पृच्छा किए जाने पर उपस्थित कर्मी अथवा चिकित्सक के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनका दिनांक 09.10.2013 का वेतन कार्य नहीं तो वेतन नही के सिद्धांत पर अवरूद्ध करते हुए विहित माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की जाती है।

   (अनुपालन :–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

4. श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा, लिपिक दिनांक 07.10.2013 से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। श्री प्रमोद कुमार दूबे, एम0एफ0डब्ल्यू0 एवं श्रीमती सुचित्रा देवी, अनुसेवक, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लौरिया निरीक्षण की तिथि को अनुपस्थित पाए गए। पृच्छा किए जाने पर उपस्थित चिकित्सक अथवा कर्मी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया। अतः श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा, लिपिक का दिनांक 07.10.2013 से 09.10.2013 तक (कुल तीन दिन) एवं श्री प्रमोद कुमार दूबे, एम0एफ0डब्ल्यू0 तथा श्रीमती सुचित्रा, अनुसेवक का दिनांक 09.10.2013 का वेतन का भुगतान कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर भुगतेय नहीं होगा। उनसे अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में विहित माध्यम से कारणपृच्छा की मांग की जाती है।

(अनुपालन :–संबंधित कर्मी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

2. ऐप्रोनः–

निरीक्षण के समय उपस्थित चिकित्सक डा0 ए0 गिरी, डा0 एन0डी0 सिंह एवं डा0 आनंद ऐप्रोन में नहीं पाए गए। उन्हें ड्यूटी अवधि में ऐप्रोन पहनने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–संबंधित चिकित्सा पदाधिकाकरी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी)

3. **साफ–सफाई :–**

1. अस्पताल के महिला एवं पुरूष वार्ड का भ्रमण किया गया। महिला एवं पुरूष वार्ड में रखा हुआ बेड्स पर लगाया गया मेट्रेस फटा हुआ पाया गया।बेड पर चादर नहीं लगाया हुआ पाया गया। बेड्स की भौतिक स्थिति भी जर्जर पायी गयी जो डा0 एस0के0 शर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं रविशंकर सिंह, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। अतः प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की जाती है।उपस्थित वार्डेन श्री बलराम मेहता को दो दिन के अंदर खराब मेट्रेस को बदल कर सभी बेड पर चादर लगाने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन :–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

2. भ्रमण के क्रम में वार्ड, वरामदा, प्रसव कक्ष एवं परिसर में गंदगी का अंबार पाया गया, जिससे ट्वायलेट की तरह का महक आ रहा था। भ्रमण के समय सफाई कर्मी सफाई करता हुआ पाया गया जो स्पष्ट करता है कि अधोहस्ताक्षरी के आगमन की सूचना पर सफाई की जा रही थी। इस अस्पताल में नियमित सफाई कर्मी के अतिरिक्त साफ–सफाई हेतु आउटसोर्स सेवा ली जा रही है परंतु सफाई की इस बदतर स्थिति से स्पष्ट होता है कि न तो सफाई कर्मी न ही आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा साफ–सफाई का कार्य किया जाता है। अतः अस्पताल में कार्यरत सभी सफाई कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग कर सिविल सर्जन अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे एवं आउटसोर्स एजेंसी के दिनांक 09.10.2013 के भुगतान की कटौती करते हुए स्पष्टीकरण की मांग सिविल सर्जन करेंगे।

   (अनुपालन :–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

3. प्रसव कक्ष में प्रसव टेबुल टूटा हुआ पाया गया एवं कई टेबुल बेकार रखा हुआ पाया गया जिसे बदलने/हटाने की आवश्यकता है।

   (अनुपालन :–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

4. भ्रमण के क्रम में अस्पताल की छत एवं दीवार पर गंदगी एवं झोल पड़ा हुआ पाया गया, दीवार एवं छत टूट–फूट रहा था, रंगाई–पुताई भी नहीं किया हुआ पाया गया। रोकड़ पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि रोगी कल्याण समिति में काफी राशि रहने के बावजूद छोटी–छोटी आवश्यक मरम्मति एवं रंगाई–पोताई नहीं कराया गया है जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के अक्रमण्यता को दर्शाता है।

   (अनुपालन :–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

4. **आउटसोर्स सेवाएं :–**

1. निरीक्षण के समय आउटसोर्स द्वारा संचालित जेनरेटर बंद पाया गया। पृच्छा किए जाने पर चिकित्सक अथवा किसी भी कर्मी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।उक्त के आलोक में जेनरेटर चलाने वाली आउटसोर्स एजेंसी की सेवा का भुगतान अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति एजेंसी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

   (अनुपालन :–सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

2. अस्पताल में साफ–सफाई हेतु आउटसोर्स के माध्यम से एजेंसी की सेवा ली जा रही है परंतु भ्रमण के क्रम में साफ–सफाई असंतोषप्रद पायी गयी। पूरे परिसर, प्रसव कक्ष, महिला एवं पुरूष वार्ड में ट्वायलेट की महक थी जो स्पष्ट करता है कि इस एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसी का भुगतान पर रोक लगायी जाती है। सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित उपलब्ध करायेंगे।

   (अनुपालन :–सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

3. निरीक्षण के समय अल्ट्रा साउंड एवं एक्स–रे रूम बंद पाया गया। पृच्छा किए जाने पर किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। जब अधोहस्ताक्षरी के भ्रमण के अवसर पर ये दोनों महत्वपूर्ण सेवाएं बंद पायी गयीं तो अन्य दिनों की क्या स्थिति होगी। अतः दोनों सेवाओं के आउटसोर्स एजेंसी के भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाया जाता है। सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति दोनों एजेंसी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

   (अनुपालन :–सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

4. भ्रमण के क्रम में परिसर में स्थापित जेनरिक दवा की दुकान बंद पायी गयी। पृच्छा किए जाने पर किसी भी चिकित्सक के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जेनरिक दवा दुकान चलाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करते हुए दिनांक 15.11.2013 तक अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

   (अनुपालन :–सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

5. भ्रमण के क्रम में परिसर में 102 ऐंबुलेंस नहीं पाया गया। पृच्छा किए जाने पर उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि यह सेवा कई दिनों से बंद है। उपस्थित एजेंसी कर्मी द्वारा ईंधन नहीं होने के कारण बंद होने की बात बतायी गयी। उपरोक्त के आलोक में सिविल सर्जन स्थिति स्पष्ट करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

   (अनुपालन :–सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

6. निरीक्षण के समय रोगियों को उपलब्ध करायी जाने वाली भोजन बनता हुआ नहीं पाया गया। पृच्छा किए जाने पर उपस्थित चिकित्सक एवं कर्मी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी। अतः

संचालक के भुगतान पर रोक लगायी जाती है। सिविल सर्जन स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन :–सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

5. **दवा की उपलब्धता :–**

टीकाकरण कक्ष में उपस्थित ए0एन0एम0 द्वारा बी0सी0जी0 का टीका उपलब्ध नहीं होने की बात बतायी गयी। पृच्छा किए जाने पर चिकित्सक के द्वारा ओ0पी0डी में 24 एवं आई0पी0डी0 में 36 दवा उपलब्ध होने की बात बतायी गयी। सिविल सर्जन अनुपलब्ध दवा को विभाग के मानक के अनुरूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :–सिविल सर्जन, बेतिया)

6. **रोगी शेड का निर्माण:–**

अस्पताल परिसर में नवाचार निधि अंतर्गत रोगी शेड का निर्माण किया जा रहा है। कार्य अभी पूर्ण नहीं किया गया है परंतु निरीक्षण की तिथि को काम होता हुआ नहीं पाया गया। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–2, बगहा को दिनांक 30.10.2013 तक योजना पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–2, बगहा)

7. **जननी बाल सुरक्षा योजना :–**

इंडोर में प्रसव कराने हेतु अस्पताल में भर्ती होने वाले महिलाओं से संबंधित पंजी का अवलोकन किया। क्रमांक 1890 से 1901 तक कुल 11 महिला को निरीक्षण की तिथि को प्रसव हेतु भर्ती दिखाया गया परंतु निरीक्षण के समय (01.10 बजे अप0) सत्यापन में केवल दो पेसेंट क्रमांक 1901 सन्तीरा देवी एवं 1899 रीना देवी उपस्थित पाई गयी। पृच्छा किए जाने पर उपस्थित चिकित्सक एवं कर्मी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। प्रथम द्रष्टया पंजी का संधारण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। जननी बाल सुरक्षा योजना भुगतान पंजी का अवलोकन किया। दिनांक 08.10.13 का भुगतान लंबित पाया गया। अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।उक्त के आलोक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक से कारणपृच्छा प्राप्त करें।

(अनुपालन :–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, बेतिया)

8. **ड्यूटी चार्ट :–**

भ्रमण के क्रम में ड्यूटी चार्ट डिस्पले नहीं पाया गया जिससे आम लोगों को यह पता चल सके कि किस समय किस चिकित्सक का बैठने का समय है। दो दिन के अंदर ड्यूटी चार्ट तैयार कर महत्वपूर्ण स्थानों पर डिस्पले कराने का निदेश दिया गया।

9. **एंबुलेंस की मरम्मति :–**

भ्रमण के क्रम नव निर्मित भवन में एक एंबुलेंस रखा हुआ पाया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सही रख–रखाव के अभाव के कारण यह एंबुलेंस जर्जर अवस्था में है। सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण उक्त एम्बुलेंस से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उसे चालू कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2013 तक उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन :–सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

10. निष्कर्ष :–

अस्पताल की साफ–सफाई की स्थिति काफी खराब पायी गयी। भवन का छत एवं दीवार की आवश्यक मरम्मति एवं रंगाई–पोताई रोगी कल्याण समिति में राशि रहने के बावजूद नहीं किया गया है। महिला एवं पुरूष वार्ड में संधारित बेड पर बिछा मैट्रेस फटा एवं किसी भी बेड पर चादर बिछा हुआ नहीं पाया गया। आउटसोर्स सेवा जैसे जेनरेटर, साफ–सफाई, ऐंबुलेंस, एक्स–रे, अल्ट्रासाउंड, जेनरिक दवा दुकान एवं रोगियों को उपलब्ध करायी जाने वाली पथ्य बंद पाया गया। जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत किया जा रहा भुगतान पंजी में संदिग्ध प्रविष्टि की गयी है। कई कर्मी एवं स्वयं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में डा0 एस0 के0 शर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप का प्रपत्र "क" गठित कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय एवं श्री रविशंकर सिंह, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को कारणपृच्छा करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश सिविल सर्जन, बेतिया को दिया जाता है।

22/10

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1873/गो. दिनांक 24.10.2013

प्रतिलिपि : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल, लौरिया/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक/लेखापाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लौरिया/लेखापाल, रेफरल अस्पताल, लौरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज/वरीय प्रभारी, लौरिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त/सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1873/गो. दिनांक 24.10.2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/10

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।